

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 157 / 2023

तारीख रजू :- 4.8.2023

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2023/327

उनवान

मोहन पुत्र घनश्याम जाति कोली निवासी खेडी हैवत तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—वादीगण—02

बनाम

केवल पुत्र घनश्याम जाति कोली निवासी खेडी हैवत तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—53

दिनांक	फर्द अहकाम
08.08.2023	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री सुगर सिंह एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 31.08.2023 को पेश हो।</p> <p>(सुरेश कुमार हरसोलिया) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>
08/23	<p>पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते. अधिनियम की तरफ से कोली के मालिकों को सूचना देकर पत्रावली पेश किया जाकर दिनांक 16-10-23 को पेश हुआ।</p>
16/10/23	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ... वादियों के पक्ष पधार है। गतानुसार दिनांक ..... को पेश हो। 25-1-24</p>
25/1/24	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ... वादियों के पक्ष पधार है। गतानुसार दिनांक ..... को पेश हो। 28-6-24</p>
28/6/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार वादीगण व वादीगण वकील को आवाज दिलाया। आवाज दिलाने के बावजूद उपस्थित नहीं। प्रकरण अदालत हाजिरी व मुद्दा पेश करने के लिए किया जाता है। विवरण निम्न पृष्ठ में विवरण प्रकृत पत्रावली के पक्ष में। पत्रावली केवल सुधार के लिए प्रकृत की जाती है।</p>

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )